प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।

सूचना का अधिकार अपील संख्या 02/2026

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
डॉ0 महेन्द्रसिंह ढाका, निवासी– ई 18, विश्वविद्यालय आवास, अशोक नगर, मुख्य मार्ग, उदयपुर।		लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्रथम सूचना अपील अंतर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः–

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त,जोधपुर) उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 20 मई, 2026

अपीलार्थी के द्वारा इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 20.01.2026 को प्रेषित आवेदन में अंकित सूचनाएं (वित्त (व्यय–1), विभाग, राज0 जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.8 (1) वित्त/व्यय–1/2009 पार्ट दिनांक 5.10.2018 की अनुपालना में संभाग के सम्बन्धित वित पोषित विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध मण्डलों और वित्त समितियो की बैठकों में, दिनांक 6.10.2018 से 20.01.2026 तक, वित्त विभाग के प्रतिनिधित्व हेतु सम्भागीय आयुक्त कार्यालय के द्वारा उक्त अवधि में अधिकृत किये गये अधिकारियों को जारी गये सभी आदेश/निर्देश पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने) उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। अपीलान्ट के द्वारा उक्त आवेदन के अनुसार इस कार्यालय के द्वारा पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा उपलब्ध करवाई गई सूचना दस्तावेज प्रतिलिपियां सत्यापन रहित होने के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 16.03.2026 को यह प्रथम सूचना अपील पेश कर उपरोक्त समस्त सूचनाएं सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

अपीलार्थी की उक्त प्रथम सूचना अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा सुनवाई हेतु दिनांक 08.04.2026 नियत की जाकर तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/प्र.अ./2026/74 दिनांक 08.04.2026 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि:—

1. आवेदक के द्वारा इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रेषित आवेदन दिनांक 20.1.2026 के द्वारा सूचनाएं चाही गई थी। उक्त प्रकरण क्रमांक 12 दिनांक 27.1.2026 को दर्ज किया जाकर दिनांक 29.1.2026 को आवेदन ऑनलाईन दर्ज करवाकर दिनांक 2.2.2026 को सामान्य शाखा को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्रावली प्रेषित की गई।
2. सामान्य शाखा के द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार 105 पेज की सूचना दिनांक 23.2.2026 उपलब्ध करवाई गई। जिस पर आवेदक को उक्त सूचना पत्र पृष्ठ 105 पेज के होने से प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने हेतु शाखा से पत्र क्रमांक 33 दिनांक 23.2.2026 को जारी किया गया।
3. उक्त प्रकरण में आवेदक से दिनांक 9.3.2026 को प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त होने पर उक्त तिथी को ही उक्त सूचना भिवजाने हेतु जरिये पत्र क्रमांक 42 दिनांक 9.3.2026 के द्वारा आवेदक को पत्र जारी कर दिया गया।

इस प्रकार आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही इस कार्यालय के द्वारा की जा चुकी है तथ इस सम्बन्ध में आवेदक को जरिये डाक निर्धारित समयावधि में रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाकर सूचित कर दिया है। अतः प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज फरमावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के कथनानुसार उनके प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2026 के अनुसार कार्यालय हाजा से चाही गई दस्तावेजों/सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने कुल 105 पृष्ठ की सूचना उपलब्ध करवाई गई, वो बिना सत्यापित दी गईं तथा आवेदन के अनुसार पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस क्रम में लोक सूचना अधिकारी के समक्ष दर्ज हुए आवेदन की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें जारी की गई सूचना दस्तावेज कुल 105 पृष्ठ की एक प्रति उपलब्ध है, बिना सत्यापित की हुई पाई गई है। अपीलान्ट की अपील में जो तथ्य अंकित किये गये है, उनके अनुसार

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट की आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाकर कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी को आवेदक/अपीलान्ट की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर पर परीक्षण करने, आवेदक के द्वारा चाही गई सूचनाओं बाबत कार्यालय की सामान्य शाखा से लिखित में टिप्पणी/सूचना ली जाकर वांछित सूचनाओं को संकलित करते हुए अधिनियम के तहत नियमानुसार सत्यापित/प्रमाणित करते हुए अपीलान्ट को निःशुल्क प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित कियाा जाता है कि वे आवेदक/अपीलान्ट की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर पर परीक्षण करने, आवेदक के द्वारा चाही गई सूचनाओं बाबत कार्यालय की सामान्य शाखा से लिखित में टिप्पणी/सूचना ली जाकर वांछित सूचनाओं को संकलित करते हुए अधिनियम के तहत नियमानुसार सत्यापित/प्रमाणित करते हुए अपीलान्ट को निःशुल्क प्रदान करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें।

(कन्हैयालाल स्वामी)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर